27/5/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 27-5-22 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत् रहेगा।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

27/5/22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7-6-22 को पेश हो। पूर्व का आदेश यथावत रहेगा

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7/6/22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, मूल वाद पत्र प्रकरण सं. 281/19 मे निर्णय हो जाने से यह प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना, आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 103/2015 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1–धापू देवी पुत्री उरजा ओड निवासी ओडों का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा —— वादी

बनाम

1–देवीलाल पिता उदेराम ओड निवासी कचोल तहसील जिरण जिला नीमच (मध्यप्रदेश)
2–श्यामादेवी पत्नि रामलाल ओड निवासी लासुर तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)
3–दिलीप पिता रामलाल ओड निवासी लासुर तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)
4–मंजू पुत्री रामलाल पत्नि रामप्रसाद ओड निवासी देवदा तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़
5–राधादेवी पत्नि रेठाजी ओड निवासी रेठोरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6–शम्भू पिता शंकर ओड निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
7–नारायण पिता शंकर ओड निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
8–सोहन पिता शंकर ओड निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
9–छाउ पुत्री शंकर ओड निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
10–पानी पुत्री शंकर ओड निवासी सुरास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
11–उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
12–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

———प्रतिवादीगण

(वाद बावत– घोषणा ,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 व 08

———0———

उपस्थितः– वकील प्रार्थी/प्रतिवादी– श्री एस0एल0वेद
वकील अप्रार्थी/वादीया–श्रीमती सुमित्रा सांखला

———

आदेश दिनांक 14.06.2022

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अप्रार्थीया के द्वारा प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 रा0का0अ0के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरास में खाता संख्या 7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 23 में कुल कीता 21 कुल रकबा 42 बीघा 03 बिस्वा भूमि भागीरथ वल्द रामचन्द्र ओड सा0 देह दर्ज थी। भागीरथ के फौत होने पर विरासत से उरजा पिता भागीरथ 1/2 अन्य सहखातेदारों के नाम पर दर्ज हुई। व उरजा के फौत होने पर नामान्तरकरण सख्या 440 दिनांक 12.05.1989 से वसीयत के आधार पर कुल कीता 28 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि उरजा के बजाय शंकर पिता उमा ओड 1/2 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 48 में दर्ज हुई। तत्पश्चात उक्त आराजीयात का बटवाड़ा हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 1568 दिनांक 20.05.2008 से वादपत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित आराजीयात कीता 17 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि शंकर पिता उगमा ओड के नाम दर्ज हो गई तथा शंकर पिता उगमा ओड के निधन हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1922 दिनांक 06.01.2014से विरासत से शंकर के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 11 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर वर्तमान रोटेशन की जमाबन्दियों में दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार खाते में तीन बार परिवर्तन हो चुका है। दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 के पूर्व ही नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 12.05.1989 को उरजा पिता भागीरथ ओड

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

द्वारा वसीयती व्ययन किया जाने से राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार(संशोधन) अधिनियम 2005 में संशोधित अधिनियम की धारा 6(1) में वर्णित तथ्य उक्त परिवर्तन जो कि 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हो जाने से प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात वादीया एवं उसकी बहन वरजी के पिता उरजा की मृत्यु दिनांक 20.12.2004 से या उसके बाद हुई होती तो मौरूसी संपदा में सहदायिक हो जाने से जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाते। धारा 6(1) हिन्दू उत्तराधिकार(संशोधन) अधिनियम 2005 में सहदायिक शब्द दिया गया शब्द मृत का जीवित सहदायिक नहीं दिया गया है इसलिये पुत्रियों को अपने पिता की संपति में जन्म से अधिकार नही मिलेगा। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 440 को पारित हुए 26 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी बिना किसी आधार के सारभूत वाद हेतुक के बिना मामले को विलंबित करने एवं तंग करने वाला और तुच्छ वाद होने से तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करके पेश किया जाने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को इसी स्तर पर नामंजूर किया जावे। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद में आरएलडब्ल्यू 2013(1)आरजे 81 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू धन्नालाल व अन्य बनाम प्रहलाद कुमार व अन्य, आर0आर0डी0 2019 पेज 529 बुदीलाल बनाम श्रीमती शान्ति व अन्य(107) अपील संख्या 5856/2019 निर्णय दिनांक 12.06.2019, आरएलडब्ल्यू 2015(1)आरजे 189 (माननीय उच्च न्यायालय) मांगीलाल मृतक के वारिसान जगदीश नारायण व अन्य बनाम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व अन्य एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4850/2010 निर्णय दिनांक 09.02.2015 , 2021 आरबीजे पेज 367 अपील संख्या 4206/2018 केदारमल शर्मा व अन्य बनाम जगदीश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 के न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र के जवाब में वादीया/अप्रार्थीया ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण से किसी के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं इससे किसी को अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6(1) एवं 6(3) के अनुसार पुत्रियों को सहदायिक अधिकार भूतलक्षीत प्रभाव से प्राप्त होते हैं जो उनके जन्म से ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 से लगायत 5 में वर्णित तथ्य गलत होकर स्वीकार नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नबर 3717 जिसमें स्पष्ट किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि उसका पिता दिनांक 09.09.2005 को जीवित हो, इससे पूर्व भी यदि पिता सहदायिक की मृत्यु हो गई है तो भी पुत्री के सहदायिक अधिकार पर कोइ विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्णय के पेरा संख्या 129 पर अवधारित किया है कि दिनांक 09.09.2005 से पूर्व पुत्री अपने अधिकारों के सम्बन्ध में दावा कर सकती है। वसीयत की वैधता एवं वाद कारण इस प्रक्रम पर तय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के निस्तारण के लिए केवल वादीया के वादपत्र के अभिवचनों पर ही निर्णय किया जायेगा। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गोविन्दराम बनाम बाहेती धर्मशाला में दिनांक 18.08.2011 को पारित निर्णय में यह स्पष्ट निर्णय पारित किया है कि वादपत्र आदेश 07 नियम 11 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रार्थना पत्र में जो भी आपत्तियां उठाई है वे प्रतिवादीगण अपने वादोतर में अंकित कर सकते थे तथा इसके आधार पर विवाद्यक कायम किए जाकर साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है। वादपत्र में वादीया के अभिवचनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर आदेश 07 नियम 11 के किसी भी प्रावधान के अधीन वाद निरस्त किया जा सके। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी । बहस में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया के द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर खोले गए नामान्तरकरण को तथा वसीयत को किसी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया। भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव होकर न्यायालय आदेश से विभाजन हो गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग दर्ज हो चुकी है। परन्तु वादीया के द्वारा न्यायालय आदेश को भी किसी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया। आदेश 07 नियम 11

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

के साथ में धारा 151 जा0दी0 का भी अंकन है । नामान्तरकरण को खुले 33 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। वसीयत अपंजीकृत है परन्तु उसकी वैधता या गलत सिद्ध करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 28.03.2015 जो अंकित किया है वह भी गलत है क्योंकि वादवर्णित आराजीयात में परिवर्तन नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 12.05.1989 को उत्पन्न हुआ। वाद मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की मंशा से तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के तथ्यों व वादपत्र में अंकित तथ्यों तथा वादपत्र में संलग्न दस्तावेजों व प्रार्थनापत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन एवं मनन पश्चात तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरास की साबिक आराजीयात कीता 21 कुल रकबा 42 बीघा 03 विस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 मे भागीरथ वल्द रामचन्द्र ओड सा0देह के खातेदारी में दर्ज थी। भागीरथ के फौत होने पर उक्त आराजीयात विरासत से उरजा पिता भागीरथ 1/2 जगरूप, जेता, शंकर, मूला वल्द उमा 1/2 ओड के नाम ई0नं0 306 से दर्ज होने का अंकन दर्ज है। इसके बाद उक्त साबिक आराजीयात के हाल आराजीयात कीता 28 कुल रकबा 24 बीघा 19 विस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 48 में उरजा पिता भागीरथ 1/2 नन्दा, प्रभू,वंशी, गोट्या पिता जगरूप, जेता, शंकर, मूल्या पिता उमा 1/2 ओड सा0देह खातेदारी मे दर्ज थी। उरजा पिता भागीरथ के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 12.05.1989 से वसीयत के आधार पर विरासत उरजा के बजाय शंकर पिता उमा ओड़ 1/2 दर्ज होने का अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 मे कुल कीता 28 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा शंकर पिता उमा 1/2 नंदा, प्रभू,, बंशी, गोट्या पिता जगरूप, जेता, शंकर, मूल्या पिता उमा 1/2 ओड हि0ब0खातेदार दर्ज हुई। इसमें आराजीयात का विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल के डिक्री/इजराय से आराजीयात कीता 17 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि शंकर पिता उमा के नाम ई0नं0 1568 दिनांक 20.05.2008 को दर्ज हो गई। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में आराजीयात कीता 20 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि शंकर पिता उमा ओड सा0देह खातेदारी से दर्ज थी। शंकर के फौत होने पर विरासत से शंकर पिता उमा के बजाय शम्भू, सोहन, नारायण, छाउ, पानी पिता शंकर व नोजी पत्नि शंकर के नाम ई0नं0 1922 दिनांक 06.01.2014 से रिकॉर्ड में दर्ज हुए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजीयात भागीरथ पिता रामचन्द्र ओड की थी अर्थात पुश्तैनी आराजीयात है। जो भागीरथ के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 306 से खाता भागीरथ के बजाय उरजा पिता भागीरथ 1/2 दर्ज हुई। इस प्रकार आराजीयात भागीरथ से उरजा व उरजा के फौत होने पर शंकर पिता उमा के नाम पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 12.05.1989 से हस्तान्तरित हुई । उक्त नामान्तरकरण के पुस्त पर ग्राम पंचायत द्वारा अंकित किया कि उरजा के कोई वारिस नहीं होने तथा अपंजीकृत वसीयत शंकर पिता उमा के नाम होने से खाता उरजा पिता भागीरथ 1/2 के बजाय शंकर पिता उमा 1/2 खाते में दर्ज करने के आदेश का अंकन है। यदि वादीया व उसकी बहन बरजी पत्नि उदयराम ओड के वारिसान वादी संख्या 01 लगायत 05 का कब्जा काश्त है। जबकि बरजी के वारिसान की ओर से कभी भी उक्त वसीयत से उरजा पिता भागीरथ 1/2 भूमि शंकर पिता उमा ओड के नाम ग्राम पंचायत द्वारा रेकार्ड में रदोबदल हेतु जारी नामान्तरकरण संख्या 440 को व उक्त वसीयत को कभी भी किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया जबकि वादीया अपने वाद में उरजा के प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में स्वयं वादीया व अपनी बहन बरजी को बताती है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व पुत्रियों को पिता के जीवन काल में या उनके मरने के पश्चात भी कोई अधिकार नहीं होते थे। जबकि हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधित) अधिनियम 2005 की धारा 6(1) व (3) में इसे भूतलक्षी माना है। परन्तु उक्त प्रकरण में भूमि वसीयत के आधार पर उरजा पिता भागीरथ से शंकर पिता उमा के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 12.05.1989 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी थी। स्वयं वादीया अपने वाद में इस तथ्य को स्वीकार करती है परन्तु उक्त वसीयत को वादीया फर्जी व कूटरचित बताती है। किसी भी पंजीकृत या अपंजीकृत वसीयत को फर्जी या सही घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है। जैसाकि वर्ष 1989 से वाद प्रस्तुत करने तक आराजीयात में विभिन्न इन्तकाल एवं न्यायालय आदेशों से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हो चुका है।

अधिकारी

उक्त परिवर्तन को वादीया या उसकी बहन बरजी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के द्वारा किसी भी न्यायालय में उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किया है। जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज नबर 3717 जिसमें स्पष्ट किया है कि किसी पंजीकृत दस्तावेज या न्यायालय आदेश से कोई परिवर्तन हो गया है ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन भूतलक्षित नहीं होगा जब तक कि उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णित नामान्तरकरण या न्यायालय आदेशों को किसी न्यायालय से अपास्त नहीं करवा दिए जावें। इस प्रकार अप्रार्थीया/वादीया की ओर से प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रतिवादी/प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव :-

आदेश

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर वादीया/अप्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 पूजा सक्सेना)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा